

FORM NO III

फॉर्म अहकाम  
(विधम 26)

09/01/2021  
11/01/2021  
24/01/2021  
19/2/2021  
llll

अजमेर अदालत उपखण्ड अधिकारी अराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- 1 रामराज उर्फ राजू पुत्र रामदेव जाति जाट उम्र 40 साल निवासी गूंदली तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 चर्गे.

**बनाम**

- 2 रघुनाथ पुत्र हजारी जाति जाट उम्र 69 साल निवासी भामोला तहसील अराई, जिला अजमेर राज0 चर्गे.

अप्राथी



किरम मुकदमा- राज. का. अधि. 1955 धारा 212

नंबर 03/2021

ऑनलाइन नंबर 2021/.....

वकील प्राथीगण पवन प्रकाश कुमावत

वकील अप्राथीगण .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मद्य इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
08.01.2021	<p>रह प्रा.पत्र प्राथीगण की ओर से वकील श्री पवनप्रकाश कुमावत ने अन्तर्गत धारा राज. का. अधि. धारा 212 के तहत पेश किया। प्रा.पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया, वकील प्राथीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 03.02.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अराई (अजमेर)                 </p> <p>                     03/2/2021 पत्रावली पेश हुई वकील प्राथीगण अराई ध. एगापट 0 व 9 लजापत 3 के तारिख मुद्रा नोटि प्राप् जो शामिल किमल / प्रतिवादी ए. 7, 8 के नोटि अदम तारिख प्राप् / वात्त तलबी व अवाप्त अप्राथीगण पत्रावली दिनांक 09/2/2021 को पेश हो।                 </p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      अराई (अजमेर)                 </p> <p>                     09/2/2021 पेश हुई। वकील अहकाम उपस्थित। P.O. साहब नुमाय कर्म/राजकार्य/दो/अप्राथीगण पर पधारो पत्रावली पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 11/2/2021 को पेश हो।                 </p>	

कार्य  
उपक्रम  
उप  
उप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	तारीख व नम्बर अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी
<p><u>१२/१/२०२१</u></p>	<p>C.No. 03/2021 रातराज vs रघुनाथ</p> <p>पत्रावली पेश की वकील वादी अनुपमिनी वादी  अनुपमिनी वकील वादी ने ३ महीने  के बावजूद अनुपमिनी वकील वादी का काम बन्द  व्यतिरिक्त कुछ कर तीस बात अवाज्य समझी  और किन्तु अनुपमिनी रहे। अतः वादी का वाद  इसी स्ति पा अनुपमिनी काग पेश के कारण  किन्तु जाता है पत्रावली पेश अनुपमिनी नया  से करे</p> <p><i>[Signature]</i>  उपखण्ड अधिकारी  संराई (अजमेर)</p>	